प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.01.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 02.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर जिला बदर अभियुक्त राशिद पुत्र सुलेमान निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त राशिद उपरोक्त मा0 न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश वाद स0 273/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 दिनांकित 13.11.2025 से 06 माह के लिए जिला बदर था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं थाना ट्रोनिका सिटा से दिनांक 13.11.2025 को जिला बदर हुआ था। मैं छिपते-छिपाते अपने परिवारीजन से मिलने के लिए ट्रोनिका सिटी में आया था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राशिद पुत्र सुलेमान निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी का सामान बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग,पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने का 01 अभियोग,थाना अंकुर विहार पर चोरी का सामान बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना शालीमार गार्डन पर स्नैचिंग का 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-05)**। अन्य अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 01.01.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त मोहम्मद जुबैर पुत्र मोहम्मद जाहिद निवासी सना मस्जिद के पास इकबाल कॉलोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को अग्रवाल स्वीट्स के पास गंदे नाले की पुलिया के पास शालीमार गार्डन से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद जुबैर पुत्र मोहम्मद जाहिद उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त ने यह मोटर साइकिल करीब 15 दिन पहले जीटीबी अस्पताल दिल्ली के पास से चोरी की थी। जिसे अभियुक्त उपरोक्त बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोहम्मद जुबैर पुत्र मोहम्मद जाहिद निवासी सना मस्जिद के पास इकबाल कॉलोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद जुबैर पुत्र मोहम्मद जाहिद उपरोक्त के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी/लूट का माल बरामद होने से सम्बन्धित 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा मोबाइल स्नेचिंग की घटना वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीना हुआ 01 आईफोन मोबाइल व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 23.12.2025 को थाना अंकुर विहार गाजियाबाद पर आवेदक श्री देवेश कुमार शुक्ला द्वारा तहरीर दी गई की दिनांक 19.12.2025 को एक मोटरसाइकिल पर सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मेरा आईफोन मोबाइल छीन लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 02.01.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुट के आधार पर उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुये मोबाइल स्नेचिंग की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1.वितुल उर्फ अतुल पुत्र बाबूराम निवासी डी-59 लालबाग मण्डी डी-ब्लॉक सोसायटी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 2. शिवम पुत्र चुन्नी गिरी निवासी शुक्र बाजार गली नं0-3, श्याम बाबा पार्किंग प्रेम विहार शिव विहार दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को सन्त नगर बिजली घर के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से छीना गया 01 आईफोन मोबाइल तथा थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त मोबाइल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनों मिलकर दिल्ली व गाजियाबाद में अलग-अगल स्थानों से मौका पाकर वाहन चोरी कर लेते हैं तथा उन्हीं वाहनों का इस्तेमाल करके आने-जाने वाले राहगीरों से मोबाइल फोन छीन लेते हैं तथा इन चोरी व छीने गये सामान को बेचकर अपने शौक पूरे करते हैं। यह आईफोन मोबाइल हमने लगभग 10 दिन पहले डीएलएफ क्षेत्र से एक राह चलते व्यक्ति से छीना था और यह मोटरसाइकिल हमने करीब 03 माह पहले लोनी बॉर्डर क्षेत्र से चोरी की थी। इसी चोरी की मोटरसाइकिल का प्रयोग करके हमने यह आईफोन छीना था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.वितुल उर्फ अतुल पुत्र बाबूराम निवासी डी-59 लालबाग मण्डी डी-ब्लाक सोसायटी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

2. शिवम पुत्र चुन्नी गिरी निवासी शुक्र बाजार गली नं0-3, श्याम बाबा पार्किंग प्रेम विहार शिव विहार दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

थाना अंकुर विहार क्षेत्र से छीना गया 01 आईफोन व थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त वितुल उर्फ अतुल उपरोक्त के विरुद्ध चोरी व छिनैती के गाजियाबाद व दिल्ली में **(कुल 11 अभियोग)** पंजीकृत हैं।

अभियुक्त शिवम उपरोक्त के विरुद्ध चोरी के 02 अभियोग थाना लोनी बोर्डर पर, चोरी व बरामदगी का 01 अभियोग दिल्ली में तथा छिनैती व बरामदगी के 02 अभियोग थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत हैं। **(कुल अभियोग-05)**।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।